उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,

संख्या-83/2016/4173/92-1-16-78(अधि0)/2016टीसी-1,

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री इकरामुल हक खॉ, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड/मऊ को शासकीय कार्यहित/जनहित में नितान्त कामचलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत उक्त पद के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती होने तक रिक्त प्रखण्ड/पीआईयू-बलिया का कार्य अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधिशासी अभियंता के रूप में उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिए श्री इकरामुल हक खॉ को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- उक्त पद के कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-83/2016/4173(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- श्री इकरामुल हक खॉ, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
9- गार्ड फाईल/ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

आज्ञा से,

(राम रतन)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in